न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — अपूर्वा परवाल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 212/2023

शुभी मेघवाल उर्फ सुरभी / सुरमी पुत्री स्व. रामकरण ,जाति भांबी निवासी ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर हाल निवासी प्लाट – 58, हरीश चन्द्र भार्गव नगर , आर एस ई बी के पास , मदार , अजमेर , तहसील व जिला अजमेर

..प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. श्रीमती भगवती पत्नि स्व. रामकरण , जाति भांबी , निवासी ग्राम कालेसरा , तहसील पीसागंन जिला अजमेर हाल निवासी प्लाट – 58, हरीश चन्द्र भार्गव नगर , आर एस ई बी के पास , मदार , अजमेर , तहसील व जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सोनी – अभिभाषक प्रार्थीया

–: निर्णय :– दिनांक 22.12.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन अवस्थित खसरा सख्या 2878 रकबा 1.13 है. तथा ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसागंन के खसरा संख्या 716, 717 रकबा 0.36 है. आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजी है। जो कि प्रार्थीया के पिता रामकरण की मृत्यु के बाद से ही प्रार्थीया के नाम चली आ रही है। प्रार्थीया जब 5 वर्ष की आयु में ही प्रार्थीया के पिता का देहान्त हो गया , प्रार्थीया की माता सरकारी नौकरी में रहने से प्रार्थीया कभी कभी अपने पैतृक गांव आकर आराजी की सार संभाल करती थी तथा वह राज़स्व रिकार्ड के बारे में नासमझ व अनभिज्ञ थी। प्रार्थीया का असली नाम शुभी मेघवाल पुत्री रामकरण है लेकिन आम बोलचाल में प्रार्थीया को उसके परिवार वाले कोई सुरभी व कोई सुरमी के नाम से भी पुकारते थे इस कारण ग्राम कालेसरा में सुरभी व ग्राम सुरजकुण्ड की आराजी में सुरमी (ना0 बा0) लिख दिया गया जबकि प्रार्थीया के आधार कार्ड , पहचान पत्र , जन्मप्रमाण पत्र , पेन कार्ड , ड्राईविंग लाइसेंस व स्कूल रिकार्ड के दस्तावेज में शुभी मेघवाल पुत्री रामकरण नाम है। वर्तमान में कृषि भूमि पर ऋण लेने बाबत आवेदन करने पर प्रार्थीया को ज्ञात हुआ है कि राजस्व रिकार्ड में बोलता नाम चला आ रहा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर नाम अकंन दुरूस्त फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि प्रार्थीया की माता है ने स्वयं उपस्थित होकर उक्त नाम दुरूस्ती हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। सरकार पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि विवादित प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है तथा प्रार्थीया दस्तोवेजों से अपना पक्ष साबित करने पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

मैंने उभयपक्षकारान की बहस सुनी , पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों प्रार्थीया के आधार कार्ड , पहचान पत्र , जन्मप्रमाण पत्र , पेन कार्ड , ड्राईविंग लाइसेंस व स्कूल रिकार्ड के दस्तावेज , ग्राम पंचायत कालेसरा के प्रमाण पत्र का अध्ययन किया मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से

उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

Scanned with CamScanner